FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत––जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

मनोहरसिंह बनाम कुबेरसिंह वगै0

किस्म मुकदमा– नामान्तरण अपील नम्बर– 09 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.06.2026	अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 के कायम मुकामान उपस्थित। प्रा0पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 03 व आदेश 22 नियम 09 सीपीसी पर उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा निवेदन किया कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में आज की तारीख पेशी नियत है। उक्त प्रकरण में अपीलांट मनोहरसिंह उर्फ मोहनसिंह का स्वर्गवास दिनांक 08.01.2025 को हो गया। उसके कायम मुकामान व वारिसान निम्न हैः– 1. श्रीमती रीना राजावत पत्नि स्व. मनोहरसिंह उर्फ मोहन सिंह 2. लक्ष्यराज पुत्र स्व. मनोहरसिंह उर्फ मोहन सिंह निवासी गुगोलाव तहसील लवाण जिला दौसा हाल निवासी ए–27, पार्वती नगर, निर्माण नगर नाले के पास, जयपुर जिला जयपुर। उक्त मृतक के अन्य कोई वारिस व कायम मुकामान नहीं है। उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण के पूर्वज मनोहरसिंह उर्फ मोहनसिंह ही पैरवी करते थे, तथा प्रार्थीगण को प्रकरण की जानकारी भी नहीं थी और न ही प्रार्थीगण को मियाद संबंधी जानकारी नहीं थी, इसलिए प्रार्थीगण ने कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र निर्धारित अवधि 90 दिवस में पेश नहीं कर सके। दिनांक 15.9.2025 को प्रार्थीगण ने अपने अधिवक्ता से प्रकरण के संबंध में जानकारी की तथा उन्हें बताया कि अपीलांट मनोहरसिंह उर्फ मोहनसिंह का स्वर्गवास हो चुका है तो उन्होने बताया कि उनके कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र शीघ्र से शीघ्र पेश करो इसलिए यह कायम मुकाम प्रार्थना पत्र जानकारी से अंदर मियाद पेश किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र पेश करने में हुई देरी काबिले माफी है व देरी माफ किये जाने योग्य है। अपील से अपीलांट मनोहरसिंह उर्फ मोहनसिंह का नाम हजफ किया जाकर 1/1 रीना राजावत व 1/2 लक्ष्यराज का नाम प्रतिस्थापित किया जाना न्यायार्थ व कानूनन आवश्यक है। न्यायालय श्रीमान किन्हीं सूक्ष्म कारणों से अपील को अबेट होना भी माने तो उपरोक्त परिस्थितियों में अपील को सेट असाईड फरमाया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 03 स्वीकार फरमाया जाकर अपील से अपीलांट मनोहरसिंह उर्फ मोहनसिंह का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर उपरोक्त कायम मुकामान का नाम प्रतिस्थापित किया जावे तथा न्यायालय श्रीमान द्वारा किन्ही सूक्ष्म कारणों के अपील को अबेट होना भी माने तो अबेटमेंट न्याय हित में सेटअसाईड फरमाया जावे। अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 के कायम मुकामान एवं राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदश 22 नियम 03 सीपीसी स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण (प्रा.पत्र 22/03) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 03 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। विचाराधीन अपील में अपीलांट मनोहरसिंह उर्फ मोहनसिंह के स्थान पर उसके विधिक वारिस रीना राजावत पत्नि मनोहरसिंह उर्फ मोहनसिंह व लक्ष्यराज पुत्र मनोहरसिंह उर्फ मोहनसिंह निवासी गुगोलाव तहसील लवाण जिलाा दौसा हाल निवासी ए–27, पार्वती नगर, निर्माण नगर नाले के पास, जयपुर जिला जयपुर को बतौर अपीलांट 1/1 से 1/2 प्रतिस्थापित किया जाता है। संशोधित कॉज टाईटल किये जाने के निर्देश प्रदान किये जाते है। तत्पश्चात अपीलांट्स के द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत विड्रा किये जाने	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट व रेस्पों0 के मध्य आपसी सहमति व स्वेच्छा से राजीनामा हो गया है। इसलिए उक्त अपील को अपीलांट्स अपनी स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के विड्रा करना चाहते है। इसलिए उक्त अपील को विड्रा किये जाने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त अपील को विड्रा कर खारिज करने के आदेश फरमावें।

अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 व राजकीय अधिवक्ता के द्वारा अपील विड्रा किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट अपील को आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः अपील अपीलांट नोट प्रेस में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख आदेशिका की प्रति के साथ लौटाया जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो। खुले न्यायालय सुनाया गया।

जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official